



कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(हैरिटेज मुख्यालय भवन बड़ी चौपड़ हवामहल के पीछे जयपुर)



क्रमांक :- एफ-12/() ननिज हैरिटेज/DAY-NULM/2024/ 411

दिनांक: 12/07/2024

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा पार्को में स्थापित शेडर मशीनों के संचालन एवं रख रखाव कार्य हेतु कार्य हेतु DAY-NULM के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूहों से दिनांक 12.07.2024 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 22.07.2024 को सायः 4 बजे तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानता राशि	कार्यावधि
1	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 27 में अग्रसेन पार्क चादी की टकसाल जयपुर में शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
2	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 78 ग्रीनवैनली दरवाजे के पास जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
3	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 95 पुरसनाराम पार्क एम पी एस स्कूल जवाहर नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
4	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 94 चित्रकूट पार्क जवाहर नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
5	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 54 पंचवटी पार्क फस्ट गुजर की थड़ी जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
6	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 52 रियान पब्लिक स्कूल के पार्क निर्माण नगर जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
7	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 39 हसनपुरा शमशान पार्क जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष
8	नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 38 परिवहन शमशान पार्क खातीपुरा रोड जयपुर शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु	4.00	8000	1 वर्ष

21/7

- 1 अभिरूचि की निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम व शर्तों / पात्रता सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज कार्यालय से दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 04.03.2024 को 05.00 बजे तक कार्यालय समय में व नगर निगम जयपुर हैरिटेज मुख्यालय के DAY-NULM व उद्यान शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी jaipurmcheritage.org पर उपलब्ध है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति निर्धारित प्रपत्र (Annexure-I&II) में स्वीकार की जायेगी।
- 2 निविदाकर्ता महिला स्वयं सहायता समूह को अपनी पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज अलग सील बन्द लिफाफे में जिनके ऊपर 'आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज' व कार्य व आवेदित पार्क का नाम शेडर मशीन का संचालन एवं रख रखाव का कार्य हेतु अंकित हो तथा वित्तीय बिड अलग से सील बन्द लिफाफे में, जिसके ऊपर "वित्तीय बिड" लिखा हो कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज में दिनांक 12.07.2024 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 22.07.2024 को सायः 4 बजे तक स्वयं द्वारा जमा करायी जानी चाहिये। प्राप्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 24.07.2024 को 01.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (स्वयं सहायता समूहों) या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष समिति द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज में DAY-NULM के उपायुक्त के कार्यालय में खोली जाएगी। EOI हेतु अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए "आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज" के नाम से जमा करानी होगी।
- 4 केवल DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों से ही EOI स्वीकार की जायगी तथा निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायगी।
- 5 DAY-NULM योजना में पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह यदि वह नियम व शर्तों (संलग्न) के अनुसार पात्र है तो ही उसकी वित्तीय बिड को खोला जायेगा। यदि स्वयं सहायता समूह पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो उसे बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6 निविदा L1 महिला स्वयं सहायता समूह को नियम व शर्तों से सम्बन्धित प्रमाणपत्र निविदा खोले जाने की तिथि के 3 दिनों के अन्दर उपायुक्त DAY-NULM को जमा करवाने होंगे यदि किसी कारणवश L1 स्वयं सहायता समूह रिजेक्ट हो जाता है या पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो L2 को नियमानुसार कार्य का आवंटन किया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार की दलील स्वीकार नहीं की जाएगी।


उपायुक्त NULM
नगर निगम जयपुर हैरिटेज


नियम व शर्तें/पात्रता

- 1 महिला स्वयं सहायता समूह DAY-NULM योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। (EOI के प्रपत्र के साथ DAY-NULM योजना के नोडल अधिकारी से सत्यापित प्रमाण संलग्न करें)
- 2 आवेदकर्ता महिला स्वयं सहायता समूह मिशन गाईड-लाइन के अनुसार सभी पंच सूत्र का 100 प्रतिशत पालन कर रहे हो जैसे:
 - स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद नियमित रूप से (प्रत्येक महीने) सभी सदस्यों के साथ मासिक बैठक कर रहे हो।
 - स्वयं सहायता समूह द्वारा नियमित बैठक को दौरान नियमित बचत करना तथा बचत को 3 कार्य दिवस के अन्दर स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में जमा करना
 - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मांग पर स्वयं सहायता समूह की और से उचित व्याज दर पर ऋण मुहैया कराया गया हो
 - स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा की गई लेन देन/ऋण की 100 प्रतिशत वापसी नियम तिथि पर की गई हो।
 - स्वयं सहायता समूह के द्वारा रिकॉर्ड का लेख जोखा व रख रखाव सही से किया गया हो जैसे बैठक की तिथि और बैठक में शामिल सदस्यों का विवरण बैठक के मिनट/कार्यवाही, लेन देन बही और ऋण बहियों का नियमित रूप से लेखा जोखा नियमित रूप से हिसाब किताब कर लेखा बहियों को सुरक्षित रूप से संयोजित किया गया हो।
 - स्वयं सहायता समूह का कोई एक सक्रिय सदस्य कम से कम आठवी पास हो तथा मोबाईल एप्प व अन्य कम्प्युटर एप्लीकेशन के बारे में प्रशिक्षित हों।
 - स्वयं सहायता समूह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वयं सहायता समूह के नाम से नियमित बचत खाता संचालित हो और वह स्वयं सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफॉल्टर न हो।
 - स्वयं सहायता समूह किसी अपराधिक गति विधियों में शामिल न हो और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहियें।
 - जिन स्वयं सहायता समूह को शेडर मशीन का संचालन कार्य का गति विधियों में अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
 - शेडर मशीन संचालन का प्रशिक्षण उद्यान शाखा द्वारा प्रदान किया जाएगा।
 - यदि स्वयं सहायता समूह पहले से नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में किसी भी

Amg

प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।

- महिला सहायता समूह को श्रेडर मशीन की सहायता से एक वर्ष तक ग्रीनवेस्ट से कम्पोस्ट खाद बनाने तक के लिये सम्पूर्ण कार्य स्वयं सहायता समूहों को करने होंगे।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा मशीन संचालन हेतु यदि श्रमिकों की मदद से किया जाता है तो श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों सुरक्षा (दुर्घटना होने की स्थिति) सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की होगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रति माह प्रति मशीन (0.50 हैक्टर से 1.00 हैक्टर से पार्क में) 200 से 400 किलोग्राम खाद तैयार करना आवश्यक है।
- स्वयं सहायता समूह के न्यूनतम 4 सदस्यों को प्रतिदिन श्रेडर मशीनों में संचालन संबंधित सभी कार्य संपादन करने होंगे।
- श्रेडर मशीन का संचालन करते समय सामान्य प्रकार की खराबी होने की स्थिति में श्रेडर मशीन को सही कराने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की होगी।
- स्वयं सहायता समूह की पराफोरमन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच में स्वयं सहायता समूह दोषी पाये जाने पर स्वयं सहायता समूह का चयन नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- बनाई गई खाद का उपयोग नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा किया जायेगा। उस पर स्वयं सहायता समूह का स्वामित्व नहीं होगा।
- नगर निगम जयपुर हैरिटेज अपने विवेकाधिकार अथवा किसी भी और कारण से इस अनुबंध को कभी भी समाप्त कर सकता है।
- खाद बनाने के लिए सामग्री की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जायेगी।
- संचालन मापदण्ड के अनुसार नहीं होने पर प्रतिदिन 200रु की कटौती की जायेगी।
- कार्यअवधि के दौरान हुए कोई भी विवाद के लिए क्षेत्राधिकार जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में होगा।
- इच्छुक स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय के NULM शाखा कमरा नं. 141 में जमा करा सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूह को कार्य के प्रति भुगतान अनुबंध अवधि में समय के अनुपातिक रूप से किया जाएगा।


उपायुक्त NULM
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विषय : पार्को में लगी शेडर मशीन में संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु आवेदन पत्र।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मेंस्वयं सहायता समूह
.....योजना के तहत पंजीकृत है तथा स्वयं सहायता समूह.....
.....EOI के तहत कार्य करने हेतु इच्छुक है तथा स्वयं सहायता समूह निविदा की
पात्रता को पूरा करता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. स्वयं सहायता समूह वर्ष.....से DAY-NULM में योजना पंजीकृत है।(EOI प्रपत्र के साथ से सत्यापित प्रमाण संलग्न है)।
2. स्वयं सहायता समूह DAY-NULM योजना में निर्धारित पांच सूत्रों का पालन करता है। (से सत्यापित प्रमाण संलग्न है)।
3. स्वयं सहायता समूह के..... सदस्य 8 वीं या अधिक कक्षा में तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन में शिक्षित है।(सदस्यों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4. स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक
.... में
नियमित बचत खाता संचालित है। (बैंक की पास बुक की कॉपी संलग्न है)।
5. स्वयं सहायता समूह किसी बैंक या किसी अन्य संस्था से प्रतिबन्धित/डिफाल्टर नहीं है।
(स्वयं सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर सत्यापन संलग्न करें)
6. स्वयं सहायता समूह किसी अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं है और न ही उसका कोई सदस्य अपराधिक गतिविधियों में शामिल है (स्वयं सहायता समूह द्वारा सादे कागज पर सत्यापन संलग्न करें)

घोषणा:

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सही दी गई है यदि भविष्य में यह जानकारी गलत पायी जाती है तो योजना के तहत कार्य नगर निगम बिना नॉटिस दिये कभी भी निरस्त कर सकता है जिसके लिये हमारे द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि हमारे स्वयं सहायता समूह को योजना के तहत कार्य आवंटित किया जाता है तो स्वयं सहायता समूह कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करेगा। यदि हमारे द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा जाता है तो नगर निगम जयपुर हैरिटेज कानूनी कार्यवाही तथा जुर्माना करने का भी अधिकारी है।

हस्ताक्षर

प्रधान/सचिव

.....स्वयं सहायता समूह

दिनांक

वित्तीय बिड (अलग से बंद लिफाफे में जमा करें)

सेवा में,

.....
.....
विषय : पार्क में लगी शेडर मशीन के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय दर
श्रीमान
उपरोक्त विषय के संबंध में स्वयं सहायता समूह के कार्य रेट निम्नलिखित प्रकार
से है:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	स्वयं सहायता समूह का अंतिम रेट	कार्यअवधि
1				

महोदय जी उपरोक्त स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों से सलाह मशवरे के बाद तय किये गये है अतः..... स्वयं सहायता समूह, के सभी सदस्य उपरोक्त कार्यों को हमारे द्वारा तय की गई राशि में एक साल करने के लिए अपनी निविदा करते है। यदि कोई और स्वयं सहायता समूह इस से कम राशि में यह कार्य करने के लिये तैयार है तो हमारी निविदा को निरस्त समझा जाये।

हस्ताक्षर
प्रधान / सचिव
.....स्वयं सहायता समूह

दिनांक